

29/11/24

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

किशनगढ (अजमेर)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

अप्रार्थी

किस्म मुकदमा - धारा 131,132 भू राज अधिनियम 1956 तथा नियम 58,59,60,66,86
राज भू अभिलेख नियमावली 1957।

नंबर 262 / 2024

ऑन लाईन नंबर 2024 /

वकील प्रार्थी:- तहसीलदार किशनगढ

वकील अप्रार्थी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
29.11.2024	<p>यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार किशनगढ द्वारा अन्तर्गत धारा 131,132 भू राज अधिनियम 1956 तथा नियम 58,59,60,66,86 राज भू अभिलेख नियमावली 1957 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम उदयपुर खुर्द पटवारी हल्का उदयपुर खुर्द भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिलोरा तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 257/1 कुल रकबा 33.8243 हैक्ट. किस्म चरागाह मे से 1.3000 हैक्ट. रकबा में मौके पर उदयपुर खुर्द रोड से काचरिया तक पुराना रास्ता बना होने से उक्त रकबा को रास्ते हेतु अधिगृहित कर उक्त भूमि में रास्ता कायम करने व रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत न्यायालय हाजा में पेश किया गया।</p> <p>हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ग्राम उदयपुर खुर्द पटवारी हल्का उदयपुर खुर्द भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिलोरा तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 257/1 की किस्म चरागाह है जो कि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है तथा चरागाह भूमि में से रास्ता दिया जाना प्रतिबन्धित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)